8/21/2020 E-receipt

E-Receipt



GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA - BILASPUR CHATTISGARH



E-	Receipt For Allahabad Bank Collect Payment Date: 2020-08-21T11:43
Reference Number	555462108201104087
Receipt Number	QF0821114327294776
Category Name	Online Fee Form
Name	Balaji
Father_Name	Wamanrao
Fee Description	Fees for admission in pre Ph.D. course 2019-20
Mobile Number-Whatsapp No	8380818390
Email_ID	matoreb3@gmail.com
Amount to Pay	13950
Payment Mode	Rupay Card
Total Amount of Fees	Rs. 13950.0
Payment Status	SUCCESS

Terms & Condition

- An E-Receipt is an electronic document with a unique confirmation number given to remitter in place of a paper receipt
- For details, rules and terms & conditions of E-Receipt, please visit www.sabpaisa.in.
- Payers are advised to carry transaction e-reciept for future reference
- When you register with above college/bank/, we or any of our partners/affiliate/staff may contact you from time to time to provide the details/information of such payments/services that we believe may benefit you.

© COPYRIGHT 2016. Powered by SRS Live Technologies Pvt Ltd. SabPaisa



गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, कमांक 25 के अंतर्गतस्थापितकेन्द्रीय विश्वविद्यालय)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central University Act., 2009 NO.25 of 2009) Web Site – www ggu.ac.in, ph. No. 07752-260021, fax No. 07752-260148,154

क.2.2.5/अका./शोध/फार्मेसी/2021

बिलासपुर, दिनॉक 25/10/21

प्रति.

1

Balaji Wamanrao Matore(Research Scholar) Department of Pharmacy Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) (पंजीकृतडाक द्वारा)

विषयः— यू.जी.सी. (एम.फिल. / पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानानुसार पीएच0डी० उपाधि के लिए पंजीयन।

विभागीय शोध समिति की बैठक दिनॉक 30.09.2021 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य हेतु (विषय) फार्मेसी अध्ययनशाला—प्राकृतिक संसाधन विद्यापीठ में आपका पंजीयन सक्षम संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार किया जाता है:—

शोध का विषय शीर्षक	शोध निर्देशक		
DESIGN, SYNTHESIS AND EVALUATION OF PHTHALIMIDE DERIVATIVES AS POTENTIA AGENTS	Dr. Jagadish singh, Assistant Professor, Department of Pharmacy, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)		
शोध केन्द्र	पंजीयनकमॉक	पंजीयनतिथि	नामांकनकमॉक
Department of Pharmacy, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya. Bilaspur (C.G.)	195263503	30.09.2021	GGV/19/6406

आप यू.जी.सी. (एम.फिल. / पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पीएच.डी.शोध कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय शोध विनियम 18 के नियमन R-11 केअनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छ:माही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति का लेखा शोध निर्देशक / RAC द्वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति / अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि निरंतर दो सेमेस्टर प्रतिवेदन असंतोषजनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो शोध—पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। शोध ग्रन्थ प्रस्तुत करने की तिथि से लगभग एक माह पूर्व छ: प्रतियों में शोध ग्रन्थ का सार संक्षेप (समरी) शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवाय है।

कमशः

A.

- यह पंजीयन छ:वर्ष तक जीवित रहेगा तथा पंजीयन तिथि से छ:वर्ष के भीतर शोधार्थी द्वारा शोध 2 ग्रंथ जमा नहीं करने पर पंजीयन छःवर्ष उपरांत स्वतः निरस्त हो जावेगा । शोध पंजीयन अवधि में वृद्धि विश्वविद्यालय शोध विनियम 2018 के नियमन R-10 अधीन रहेगा ।
- शोध ग्रंथ प्रस्तुतीकरण / प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 5000 / (परिवर्तनीय) विश्वविद्यालय कोष में चालान 3. के द्वारा देय होगा।
- शोध विनियम के प्रावधानानुसार शोधार्थी को निर्धारित समयाविध में शोध ग्रंथ प्रस्तुत करना होगा । 4. छः माही प्रगति प्रतिवेदन एवं शोध ग्रंथ जमा करना शोधार्थी की ब्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में स्मरण नहीं कराया जायेगा ।

शोधार्थी का पंजीयन एवं शोध कार्य विश्वविद्यालय के शोध विनियम—2018 के अधीन होगा । अतः 5. शोधार्थी को यह सलाह दी जाती है कि विश्वविद्यालय शोध विनियम—2018 के प्रावधानों का भली-भांति अध्ययन कर लेवें ।

आदेशानुसार,

बिलासपुर, दिनॉक 25/10/21

कमांक 226/अका०/शोध/फार्मेसी/2021

प्रतिलिपि:-

- शोध निर्देशक—डॉ०, जगदीश सिंह, सहायक प्राध्यापक, फार्मेसी विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ०ग० को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि वे ऊपर लिखित शोध अध्यादेश / विनियम के प्रावधानानुसार संलग्न प्रारूप में शोध छात्र का प्रत्येक सेमेस्टर छःमाही प्रगति प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें । विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अलग से पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
- विभागाध्यक्ष, फार्मेसी विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ० ग० की ओर सूचनार्थ। 2
- सहायक कुलसचिव, गोपनीय शाखा गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।

ग्रंथपाल, केन्द्रीय ग्रंथालय, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ। 4

समन्वयक (आईटी सेल) की ओर वेब पटल पर अपलोड करनेहेतु प्रेषित। 5

संबंधित नस्ती प्रति।

सहा. कुलसंचिव(अका.) गुरू घासीदासविश्वविद्यालय, 👔 बिलासपुर(छ.ग.)